ESIC
Employees' State Insurance Corporation

Insurance

User Login: 25000013210001001

Wednesday, March 22, 2023
12:16:05 PM

Monthly Contribution > Online Challan Status

Transaction Details

* Required Fields

Transaction status:	Transaction Completed Successfully
Employer's Code No:	25000013210001001
Employer's Name:	MS. AURANGABAD MULTI SERVICES
Challan Period:	Feb-2023
Challan Number :	02523110065290
Challan Created Date	14-03-2023 09:33:48
Challan Submitted Date	14-03-2023 15:48:50
Amount Paid:	352139.00
Transaction Number:	CHM0105192

Print Close

DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Employee's State Insurance Corporation. Copyright © 2009, ESIC, India. All Rights Reserved. Best viewed in 1024 x 768 pixels, Designed and Developed by Wipro LTD.IP Address : 44.ASP Session ID : he4bso45mwl2noy3yluq2bak

प्रपत्र सं. 11

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

उपक्षेत्रीय कार्यालय

पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपुर-440018

संख्या : 25-1321-101/2001

दिनांक 13 जुलाई JUL 2001

मेसर्स औरंगाबाद मल्टी सर्विसेस

एन-1, एल-20/2, सिडको,

शिवाजी नगर, औरंगाबाद.

विषय- क. रा. बी. अधिनियम 1948 का प्रभावी होना-यथा संशोधित क. रा. बी. अधिनियम 1948 की धारा 2(12) / 1(5) के अन्तर्गत कर्मचारियों / कारखानों / प्रतिष्ठानों का पंजीकरण.

प्रिय महोदय,

मैं आपको सूचित करता हूं कि क. रा. बी. अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या 1368/69-एच. आय. दि. 28.3.69 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले औरंगाबाद क्षेत्र के स्थित सभी व्याप्त कारखानों पर उपबंधों को लागू किया है।

2. मैं आपको यह भी सूचित करता हूं कि समुचित सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों को, क. रा. बी. अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर अधिसूचना संख्या ईएसआय-2787/1965/सी.आर.?/295/87 दिनांक 1.12.89 विस्तारित किया है।

3. इस अधिनियम की धारा 2 ए के अनुसार ऐसे कारखानों / प्रतिष्ठानों द्वारा उन्हें स्वयं को इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत करवा लेना चाहिए तथा अध्याय IV के अनुसार प्रधान नियोजक की यह जवाबदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को बिमित करवाएं तथा इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के संबंध में अंशदान का भुगतान करें।

4. आपके, द्वारा प्रस्तुत आपके कारखाने / प्रतिष्ठान के विवरण कारखाने / प्रतिष्ठान का बीमा निरीक्षक / स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक द्वारा दि. 7.03.2001 को किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आपका कारखाना / प्रतिष्ठान दि. 1.10.00 अस्थायी से इस अधिनियम की धारा 2(12) / 1(5) के प्रयोजनार्थ आता है, तथापि यदि बाद में यह तथ्य उजागर होता है कि उल्लिखित तारीख के पूर्व से ही आपका कारखाना / प्रतिष्ठान व्याप्ति योग्य था तो ऐसे पूर्ववर्ती तारीख से आप अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए भागी होंगे।

5. आपसे अनुरोध है कि आपके कर्मचारियों के पंजीयन तथा घोषणा पत्रादि भरने और जिस तारीख से आपका कारखाना / प्रतिष्ठान इस अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त हुआ है उस तारीख से अंशदान का भुगतान तथा अभिलेखों के रखने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करें।

6. सुविधा की दृष्टि से आपके प्रतिष्ठान को कूट संख्या 25-1321-101 आवंटित किया गया है। इस कार्यालय से पत्राचार करते समय और इस उद्देश्य के लिए फार्मों में दिए गए स्थान पर इसका उल्लेख करें। निगम का स्थानीय कार्यालय जो सैंट फ्रांसिस हायस्कूल के सामने जालना रोड औरंगाबाद स्थित है, को आपको सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आप अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करने में या योजना के संबंध किसी अन्य कार्रवाई करने कोई कठिनाई महसूस करें तो उपरिलिखित स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं वे इन मामलों में आपको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

7. आपसे अनुरोध है कि राज्य बीमा औषधालय की सूची का आप अपने कारखाने / प्रतिष्ठान में व्यापक प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालय का चयन कर सकें। ऊपर लिखित स्थानीय कार्यालय से आवश्यक प्रपत्र आदि आप प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपके सभी कर्मचारी सम्बद्ध है।

8. क. रा. बी. अंशदान स्वीकारने हेतु प्राधिकृत बैंकों की सूची इसके साथ संलग्न है। आप इनमें से अपनी पसंद की एक शाखा का चयन कर इस कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की सम्बंधित शाखा को सूचित करें। क. रा. बी. के देय केवल उसी शाखा में जमा कराएं। इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस शाखा में आपके द्वारा राशि जमा की गई है उसे ही आपके द्वारा 'नामित शाखा' मान लिया जाएगा।

9. क. रा. बी. अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने के लिए निगम के कार्मिक आवश्यक यथा संभव सहयोग देने के लिए सदा उत्सुक हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप क. रा. बी. अधिनियम तथा विनियम का अनुपालन बड़ी तत्परता एवं समयबद्धता के साथ करेंगे।

भवदीय

(डी. वेणुगोपालन)

संयुक्त निदेशक प्रभारी

उप निदेशक

प्रतिलिपि :-

1) बीमा निरीक्षक - प्रभारी I/II/III/IV -7, द्वारा स्था. का. औरंगाबाद.

2) प्रबंधक स्था. का. औरंगाबाद.

3) पंजीयन / अंशदान शाखा पंजिका

4)

5)

उप निदेशक

संयुक्त निदेशक प्रभारी

Scanned by CamScanner